न्यायालय:—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर—235103000302006</u> <u>व्यवहार वाद कं.—54ए / 16</u> संस्थापित दिनांक—27.07.2006

1.साविर मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान आयु 50 साल निवासी मोहल्ला इस्लामपुरा बाहर शहर चंदेरी जिला अशोकनगर।

....वादी

विरुद्ध

1.शहीद मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद आयु 60 साल 2.शाहिद मोहम्मद पुत्र शहीद मोहम्मद आयु 42 साल दोनों की जाति मुसलमान, दोनों निवासीगण मोहल्ला इस्लामपुरा बाहर शहर चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

....प्रतिवादीगण

3.म0प्र0 शासन द्वारा जिलाधीश महोदय जिला अशोकनगर म0प्र0।

..... फोरमल प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री मिर्जा अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 द्वारा श्री पठान अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 03 पूर्व से एकपक्षीय।

-// निर्णय//-(आज दिनांक 24.03.2017 को घोषित)

01. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध कस्बा चंदेरी वार्ड क्रमांक 17 मोहल्ला इस्लामपुरा स्थित सर्वे क्रमांक 203/1, 203/2, 352, 353, 521, 528, 530 कुल रकवा 1.724 हेक्टेयर एवं वार्ड क्रमांक 17 स्थित भवन क्रमांक 09 (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) के 1/2 भाग पर स्वत्व घोषणा, तहसीलदार द्वारा किए गए बंटवारे को निरस्त किए जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा तथा अंश का कब्जा दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत किया है।

- 02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के अनुसार उक्त 03. विवादित भूमि नगरपालिका के परिपत्रों में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता वली मोहम्मद के स्वत्व की है। वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि वर्ष 1984 तक नगरपालिका परिपत्रों में वली मोहम्मद के नाम से दर्ज रही। वादी के अनुसार वली मोहम्मद द्वारा उक्त संपत्ति को वारिसानों के बीच दिया जाना था तथा अन्य वारिसान द्वारा अपने हक को त्याग किया गया और इस प्रकार उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग का वह स्वत्वाधिकारी है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने चालाकी से उक्त मकान पर अपना नाम करवा लिया तथा उक्त भूमि का एकपक्षीय रूप से विभाजन करा लिया। वादी के अनुसार वह डायवर्जन की गई भूमि का टैक्स अदा कर रहा है तथा वह उक्त भूमि के 1/2 भाग का स्वत्वाधिकारी है। वादी के अनुसार अन्य वारिसान द्वारा अपना हक त्याग दिया गया है इसलिए उनको प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री चाही है कि उसे उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे, उसका कब्जा दिलाया जावे, बंटवारे को निरस्त किया जावे और साथ ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।
- 04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी कमांक 1 की अपनी सहमति से हुआ है। प्रतिवादी के अनुसार उक्त मकान में वृक्षों का बंटवारा नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी

कमांक 1 जिस भवन पर निवास करता है उस पर उसने स्वयं अतिक्रमण कर स्वयं के स्त्रोतों से भवन निर्मित किया है और इस प्रकार वादी का उक्त मकान में कोई हित नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्निलखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :--

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी वादग्रस्त भवन, भूमि एवं उस पर स्थित	"नहीं"
	वृक्षों के 1/2 भाग का स्वत्वाधिकारी है ?	
02.	क्या वादी उपरोक्तानुसार आधिपत्य प्राप्त करने का	''नहीं''
	अधिकारी है ?	
03.	क्या राजस्व प्रकरण क्रमांक—7अ27 / 93—94, आदेश	''नहीं''
	दिनांक 31.03.1995 वादी के विरुद्ध शून्य है ?	
04.	क्या नगर पालिका चंदेरी में वादग्रस्त भवन का किया	"नहीं"
	गया नामांतरण विधि विरुद्ध रूप से किया गया है ?	
05.	क्या वादी चाही गई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का	"नहीं"
	अधिकारी है ?	
06.	क्या वादी का वाद अवधि बाह्य है ?	"नहीं"
07.	क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त	"नहीं"
	शुल्क अदा किया गया है ?	
08.	सहायता एवं व्यय ?	''निर्णयानुसार
		वादी का वाद
		अस्वीकार कर
		सव्यय निरस्त
		किया गया।''
09.	क्या न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार है ?	"हां"

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06. वादी ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 साविर मोहम्मद, वा.सा. 02 रज्जाक एवं वा.सा. 03 धर्मलाल की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही शपथ पत्र प्रपी 01, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपी 02, पंचनामा प्रपी 03, नक्शा प्रपी 04 एवं लिखतम प्रपी 05 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 अब्दुल जब्बार, प्र.सा. 02 रामप्रसाद एवं प्र.सा. 03 सईद मोहम्मद की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रडी 01 लगायत प्रडी 30 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न कमांक 01 लगायत 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न कमांक 06 लगायत वाद प्रश्न कमांक 09 का निराकरण पृथक—पृथक से किया जा रहा है।

-ः वादप्रश्न कं. 01 लगायत 05 ः-

08. वा.सा. 01 साविर मोहम्मद ने अपने कथन में बताया है कि चंदेरी स्थित सर्वे कमांक 7 तथा चंदेरी मोहल्ला इस्लामपुरा वार्ड कमांक 17 स्थित भवन कमांक 9 तहसील नगरपालिका चंदेरी रिकार्ड में उसके तथा उसके भाई सईद मोहम्मद के नाम दर्ज है। उक्त साक्षी के अनुसार उनके पिता की मृत्यु के बाद वह तथा उसके भाई उनके पिता की समस्त संपत्ति भूमि एवं मकान में आध—आधे भाग के अधिकारी हो गए हैं। उक्त साक्षी के अनुसार सईद ने चालाकी से नगरपालिका रिकार्ड में उसके पिता के स्थान पर अपना नाम लिखवा लिया है तथा एकपक्षीय रूप से भूमि का विभाजन 13 वर्ष पूर्व करवा लिया था। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादी ने 18 वर्ष पूर्व शपथ—पत्र में दिए गए वचन के विपरीत डायवर्सन की भूमि में से आधी भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में लिखवा ली है। वा.सा. 02 रज्जाक ने अपने कथन में बताया है कि उसने विवादित मकान देखा

है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित मकान के आधे भाग का हिस्सा वादी का है, जबिक प्रतिवादी ने पूरे भाग पर कब्जा कर रखा है और खेती की भूमि भी हड़प ली है। वा.सा. 03 धर्मलाल ने भी इसी प्रकार अपने मुख्यपरीक्षण में बातें बताई हैं। वा.सा. 01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसे डायवर्जन की पूरी भूमि 6 हजार वर्ग फुट चाहिए। उक्त साक्षी के अनुसार वह वर्ष 1970 से अपने भाई से अलग रह रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार पटटे वाली जमीन में उसके पिता ने मकान बनाया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसकी मां—बहन को भी जमीन बंटवारे में नहीं मिली। वा.सा. 02 के अनुसार सईद, वली के मकान में रह रहे हैं तथा उनके समय से ही रह रहे हैं। वा.सा. 03 के अनुसार उसने वली को नहीं देखा।

- 09. प्र.सा. 03 सईद के अनुसार उसके पिता की संपत्ति उसे तथा उसके भाई को प्राप्त हुई है तथा वादी ने तहसील में आवेदन प्रस्तुत कर बंटवारा करा लिया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे उक्त भूमि पटटे पर प्राप्त हुई थी। जिस पर उसने अपने पिता के समय से मकान बना लिया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पिता की संपत्ति में उसकी बहनों ने अपना हिस्सा अपने दोनों भाइयों को दे दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार वादी ने लिखकर दे दिया था कि उसका मकान में कोई हक नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार जिस भूमि पर मकान नंबर 7 बना है वह उसे पटटे पर मिली थी। प्र.सा. 02 अब्दुल जब्बार तथा प्र.सा. 03 हिरलाल दोनों ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि वह सईद को मोहल्ला वाले शहर के अपने मकान में निवास करता देख रहे हैं। प्र.सा. 02 के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि साबिर के पिता की जमीन भाइयों में आधी बंटी है या नहीं। प्र.सा. 03 ने भी अपने कथन में बताया है कि दोनों भाइयों के मकान अलग—अलग हैं।
- 10. वादी की ओर से जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं उनके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रपी 01 शपथ पत्र है। उक्त शपथ पत्र में प्रतिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसका तथा वादी का उक्त विवादित भूमि में आधा—आधा हिस्सा है। प्रपी 02 मृत्यु प्रमाण पत्र है, प्रपी 03 पंचनामा है,

प्रपी 04 नक्शा है तथा प्रपी 05 लिखितम है। उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त वादी ने अन्य कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी ने जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उससे यह स्पष्ट है कि जिस भूमि के संबंध में वादी ने स्वत्व घोषणा चाही है वह पटटे की भूमि है। उक्त तथ्य के बारे में वा.सा. 01 ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है। वा.सा. 02 एवं वा.सा. 03 स्वतंत्र साक्षी हैं, किंतु उक्त साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि वादी का उक्त विवादित भूमि में स्वत्व निहित है। किसी भी प्रकरण में वादी को अपना वाद प्रमाणित करने का भार होता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी को स्वयं यह प्रमाणित करना है कि उसका विवादित भूमि में हित निहित है तथा स्वत्व भी है और इसी आधार पर आदेश दिनांक 31.03. 1995 शून्य है। उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा आदेश दिनांक 31.03.1995 अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही नामांतरण आदेश से संबंधित प्रविध्टि का कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी की ओर से नगरपालिका चंदेरी द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत किया गया है जिसमें उक्त बंटवारे का उल्लेख है।

11. वादी ने जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं, उनमें से एक भी दस्तावेज स्वत्व संबंधित दस्तावेज नहीं है। उल्लेखनीय है कि वादी ने नगरपालिका चंदेरी में की गई प्रविष्टि का भी कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र शपथ—पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंचनामे के आधार पर स्वत्व संबंधी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना समीचीन प्रतीत नहीं होता। वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि उसके पिता के स्वत्व की भूमि थी तो ऐसे में आवश्यक है कि वादी द्वारा उक्त विवादित भूमि पर उसके पिता के स्वत्व संबंधित दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए जाते। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है। जहां तक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रश्न है तो उक्त दस्तावेजों में एक भी ऐसा दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि उक्त विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख है के अवलोकन से प्रकट होता है कि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में बंटवारा सांवंधित आदेश है के अवलोकन से प्रकट होता है कि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में बंटवारा

हो चुका है। प्रतिवादी द्वारा प्रडी 17 लगायत प्रडी 26 की जो खतौनी अभिलेख पर प्रस्तुत की गई हैं उससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि के संबंध में वादी द्वारा जो अभिवचन किए गए हैं, वे संतुष्टिपूर्ण नहीं हैं। वादी अपनी साक्ष्य के माध्यम से यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 7327/93—94 दिनांक 31.03.95 विधि विरुद्ध है। इस प्रकार वादी उक्त भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने एवं उक्त भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 05 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-06</u> ::-

12. वादी ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जा वापसी हेतु प्रस्तुत किया है। वादी के अनुसार उसे नगरपालिका चंदेरी से दिनांक 15.06. 06 को मनमाने ढंग से किए गए एकपक्षीय बंटवारे की जानकारी हुई है। वादी ने प्रस्तुत वाद दिनांक 24.07.06 को प्रस्तुत किया है। प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि वादी को उक्त तथ्य की जानकारी पहले से थी तथा उसने देरी से वाद प्रस्तुत किया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद परिसीमा समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना प्रकट हो रहा है। परिणामतः वाद प्रश्न कमांक 06 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-07</u> ::-

13. वादी ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जा वापसी हेतु प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा जो न्यायशुल्क अदा किया गया है वह 200 रुपये अदा किया गया है। वादी ने कब्जा वापसी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का न्यायशुल्क अदा नहीं किया है। वादी ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि वह उक्त अनुतोष से संबंधित न्यायशुल्क डिकी के प्रवर्तन के समय देगा, जबिक वादी को नियमानुसार पूर्व में ही न्यायशुल्क अदा करना था। वादी ने न्यायशुल्क

अधिनियम की धारा 7 (IV) के प्रावधानों के अंतर्गत उचित न्यायशुल्क अदा नहीं किया है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 07 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-09</u> ::-

14. वादी ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जा वापसी हेतु प्रस्तुत किया है। वादी ने जो अनुतोष अपने वादपत्र के माध्यम से चाहा है वह व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप है तथा वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष विधिसम्मत है और इस प्रकार इस न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 09 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-08</u> ::-

- 15. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।
- 16. वाद का संपूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर (ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर